कार्यालय – उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, हजारीबाग
(गोपनीय शाखा)

पत्रांक 1593 / गो0

प्रेषक,

उपायुक्त,
हजारीबाग।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, हजारीबाग/अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग/सभी कार्यपालक अभियन्ता, हजारीबाग/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं बरही/स्थापना उप समाहर्त्ता, हजारीबाग/जिला कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग/भूमि संरक्षण पदाधिकारी, हजारीबाग/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हजारीबाग/सभी अंचल अधिकारी, हजारीबाग/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हजारीबाग।

विषय :- **दिनांक-04.05.2016 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के प्रमुख कार्य बिन्दुओं पर ससमय अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।**

हजारीबाग, दिनांक 17 / 7 / 2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक-426/मु0स0 दिनांक-07.05.2016 के द्वारा दिनांक-04.05.2016 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के प्रमुख कार्य बिन्दुओं को रेखांकित करते हुए उनके कार्यान्वयन के लिए निश्चित समय सीमा को निम्नवत् लक्षित किया गया है :-

क्र0 स0	कार्य का नाम	अनुपालन करने वाले पदाधिकारी
	आई0टी0 विभाग	
1	जिले में प्रज्ञा केन्द्रों के माध्यम से सभी प्रकार की प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाते हैं, उनकी समीक्षा कर प्रतिवेदन देंगे कि किस पदाधिकारी के पास कितने मामले समय सीमा से ज्यादा समय से लम्बित हैं। इसके लिए संबंधित पदाधिकारी से कारण पृच्छा उपायुक्त के स्तर से निर्गत करेंगे।	AC/DIO/EDM
2	सभी प्रखण्ड विकास पदा0 से यह सुनिश्चित करायेंगे कि पंचायत भवन में एक रू0 प्रति माह के किराये पर एक कमरा उपलब्ध करवाकर प्रज्ञा केन्द्र का संचालन हो।	DDC/DIO
3	जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमैट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज हो तथा सुचारू रूप से बायोमैट्रिक मशीन कार्यरत रहे। इसे सुनिश्चित करायेंगे।	DPO UID
4	ई-गवर्नेंस सोसाईटी के पास जितने भी आवेदन लम्बित है उसको सत्यापन कर दिनांक-30.07.2016 तक सरकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।	DIO
	परिवहन	
1	जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग मेजर दुर्घटना वाले जगह जहाँ ट्रॉमा सेन्टर बनाया जाना है उसकी सूची तैयार कर पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को दिनांक-15.08.2016 तक उपलब्ध करायेंगे।	DTO

2	राईट टू सर्विस एक्ट शत् प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।	AC/EDC
	अन्यान्य	
1	[illegible] अनुकम्पा की बैठक इसी सप्ताह करानी है।	I/C Gen Sec
2	Dist Mining Fund की बैठक 30 जुलाई 2016 के पुर्व करेंगे।	DMO
3	जमीन उपलब्धता नहीं रहने के कारण अगर भवन निर्माण विभाग की कोई योजना लंबित है जो या तो 31.08.2016. तक पूर्ण करायें। अगर योजना पूर्ण नहीं होती है तो राशि वापस करना सुनिश्चित करेंगे।	EE, Building Div
4	स्वच्छ भारत की समीक्षा उपायुक्त अपने स्तर से करेंगे।	EE DWSD, Nodel Officer
	राजस्व / वन प्रमण्डल	
1	अपर समाहर्ता, हजारीबाग भूमि का अद्यतन डाटा बैंक पुनः तैयार करायेंगे एवं उसकी समीक्षा प्रत्येक 15 दिनों में करेंगे।	AC, Hazaribag
2	खासमहाल लीज से संबंधित जो भी मामला है, उसे 15 अगस्त 2016 तक अपर समाहर्ता, हजारीबाग निष्पादित करवाना सुनिश्चित करेंगे।	AC, Hazaribag
3	अपर समाहर्ता, हजारीबाग यह सुनिश्चित करायेंगे कि जिले के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र उन्हें मिल जाय। इसके लिए आवेदन प्राप्त करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक के सहयोग से कैंप का आयोजन कर Schedule बनायेंगे।	AC & DSE
4	राष्ट्रीय राजमार्ग 02, 2/6 लेन चौडीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग–33 लेन चौडीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग–100(नया परियोजना), राष्ट्रीय राजमार्ग–31, कोडरमा–बड़काकाना भाया हजारीबाग रेल परियोजना, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, रिंग रोड, एन0टी0पी0सी0 पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना, चट्टी बरियातु एवं केरेडारी कोयला खनन परियोजना, अंतराज्जीय बस अड्डा, न्यू कोल ब्लॉक (नया परियोजना), तरही थाना का भुगतान 15 अगस्त 2016 तक शत् प्रतिशत करना सुनिश्चित करेंगे।	AC & DLAO
5	सी0सी0एल0 की जो जमीन वापस हो चुका है, उसका सत्यापन कर प्रस्ताव राज्य सरकार को 15 अगस्त के पूर्व भेजना सुनिश्चित करें।	AC, Hazaribag
6	पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत वन भूमि के अनापत्ति के कारण जितने भी सडकें निर्माण हेतु लंबित है उसकी समीक्षा अपर समाहर्ता कर वन प्रमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी 25 दिनों के अन्दर उसे स्वीकृति कर संबंधित विभाग को उपलब्ध करायेंगे।	AC/DFO Hazaribag
7	वन भूमि के क्लीयरेंस के लिए रोड मैप 15 अगस्त 2016 तक तैयार करेंगें तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग उसे 25 दिनों में निष्पादित करेंगे।	AC/DFO Hazaribag
8	निजी जमीन का पोस्टर लगवाया जाना है। अपर समाहर्ता/वन प्रमण्डल पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।	AC/DFO Hazaribag
9	जिले में जितने भी डोभा का निर्माण हो रहा है उसकी सूची भूमि संरक्षण पदाधिकारी सभी संबंधित को उपलब्ध करायेंगे तथा डोभा मालिक से समन्वय स्थापित कर डोभा के चारे तरफ पेड पौधा लगवाना सुनिश्चित करेंगे। मनरेगा के डोभा में उप विकास आयुक्त, हजारीबाग एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी यह कार्य सुनिश्चित करायेंगे।	DDC/DSCO/DFO

कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं सहकारिता विभाग

1	कृषि इनपुट के लिए 10 दिनों के अन्दर रोड मैप तैयार कर जिला कृषि पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे।	DAO, Hazaribag
2	सोलर वाटर पाईपिंग सेट के लिए डी0पी0आर0 15.08.2016 तक तैयार करना है।	DAO Hazaribag
3	जिले में बीज/फर्टीलाईजर विक्रेताओं की संख्या बढाने के लिए 14 दिनों के अन्दर विज्ञापन निकलवाना है। इस जिले में बीज विक्रेताओं की संख्या 256 एवं फर्टीलाईजर अनुज्ञप्तिधारी की संख्या 276 है। अगर विक्रेताओं की संख्या नहीं बढ़ती है तो इसके लिये जिला कृषि पदाधिकारी, हजारीबाग जिम्मेवार होगें।	DAO/DPRO Hazaribag
4	Soil Test Card का समीक्षा कराना है।	Soil Cons off/ DAO
5	जिले में जितने भी हल्का में परती जमीन पडी हुई है वहाँ सिंचाई की सुविधा बहाल करने के लिए 02 माह के अन्दर रोड मैप तैयार करेंगे।	Soil Cons. Officer
6	के0सी0सी0 में जिले की प्रगति काफी दयनीय है। कौन से बैंक के जी0एम0/सी0एम0डी0 के पास कितने मामले लम्बित हैं, इसकी सूची एल0डी0एम0 15 दिनों के अन्दर तैयार करें तथा रोड मैप तैयार करें कि कैसे के0सी0सी0 में प्रगति लाई जाय। कृषक मित्रों को लक्ष्य देकर समीक्षा करेंगे।	LDM
7	एल0डी0एम0 यह सुनिश्चित करायें कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋण उपलब्ध हो सके।	LDM
8	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 30 जुलाई 2016 तक लक्ष्य के अनुरुप करना अनिवार्य है। इसके लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली कम्पनियों को दिनांक-31.07.2016 तक जिले मे अपना कार्यालय खोलना है। इसकी समीक्षा कृषि पदाधिकारी प्रत्येक 15 दिनों में करेंगे।	DAO/LDM/DCO
9	गौशाला के तहत जो राशि दी जा रही है उसके पर्यवेक्षण हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाने के लिए आदेश निर्गत करना है।	SDO/Confidential Sec
10	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के तहत जितने भी प्रकार के लाभुकों यथा सूकर विकास योजना (वृहत एवं लघु),महिला स्वालम्बन योजना, बकरा विकास योजना,कुक्कुट विकास का चयन किया जाना है, उसे 30.08.2016 तक कर लेना है	DAHO
11	मत्स्य रियरिंग तालाबों के निर्माण हेतु 31.07.2016 तक जिला मत्स्य पदाधिकारी रोड मैप तैयार करेंगे कि कौन से तालाबों में क्या-क्या किया जाना है।	Dist Fishery Off.
12	मॉडल ग्राम भवन में दुध संग्रहरण एवं प्रशीतन उपरांत परिवहन हेतु पहूँच पथ का निर्माण कार्य किया जाना है। इसके लिए 31.07.2016 तक जिला गव्य विकास पदाधिकारी डी0पी0आर0 तैयार करेंगे।	DDO, Hazaribag
13	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं जिला सिंचाई योजना 20 जुलाई 2016 तक तैयार करना है।	DAO/ATMA

जिला योजना एवं जिला परिषद/पंचायत राज

1	अनाबद्ध निधि मे 11 करोड 65 लाख रू0 का आवंटन प्राप्त है। जिला योजना पदाधिकारी इसके व्यय हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।	DPO
2	एन0आर0एम0एस0 के तहत हुनर पोर्टल मे प्रविष्टि कराना डी0पी0ओ0 सुनिश्चित करेगें।	DPO/EDC

3	सांसद / मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना की दिनांक–31.07.2016 तक समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।	DPO
4	योजनाओं का जीर्णोद्धार का कार्य 15 अगस्त 2016 तक पूर्ण हो जाना चाहिए।	DPO
5	जिले के सभी पंचायत सचिवालयों को कियाशील करना है, विद्युतीकरण करते हुए।	DDC/DPRO/ EE. Election

कार्मिक

1	स्थापना उप समाहर्त्ता, हजारीबाग जिला स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय पदो के विरुद्ध नियुक्तियों के लिए रोस्टर तैयार कर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को प्रतिवेदन 31 जुलाई 2016 तक उपलब्ध करायेंगे	EDC
2	HRMS Portal में जिले से सभी पदाधिकारियों/कर्मियों की प्रविष्टि दिनांक 15 अगस्त 2016 तक हो जाय, इसे सुनिश्चित करेंगे।	EDC
3	जिले के सभी कर्मियों के सेवापुस्त का सत्यापन दिनांक–15 अगस्त 2016 तक करना सुनिश्चित करेंगे।	EDC

उत्पाद

1	सहायक आयुक्त, उत्पाद, ह०बाग एक सप्ताह के अन्दर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स के गठन हेतु संचिका उपस्थापित करेंगे, तत्पश्चात बैठक कराना सुनिश्चित करेंगे।	Asst Comm Excise
2	अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध छापेमारी हेतु आदेश बनाना है।	Asst Comm Excise
3	एम०आर०पी० से अधिक दर पर शराब की बिक्री ना हो, इसे सख्ती से उत्पाद आयुक्त लागू करायेंगे।	Asst Comm Excise

आपदा

1	वज्रपात से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको मुआवजा 24 घंटे के अंदर दिया जाना है। अन्य आपदाओं में भी त्वरित कार्रवाई करना है। आदेश निर्गत करना है। आवश्यक राशि की आवंटन की मांग आकलन के आधार पर शीघ्र करना है।	AC/Conf. Section
2	पेयजल एवं आपदा के द्वारा चापानलों के लिए जो निविदा किया गया है, उसके तहत यह सुनिश्चित कराना है कि निविदाताओं के पास 50 चापानल पर एक ड्रील मशीन हो। अगर उसके पास नहीं है तो उससे कारण पृच्छा करें।	EE, DWSD
3	सुखाड़ के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाना है।	AC
4	नागरिक सुरक्षा के तहत आपदा से निपटने के लिए 100 भोलंटियर को प्रशिक्षित कर तैयार रखना है।	AC/Conf.Sec
5	पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग एवं अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग यह सुनिश्चित करेंगे कि आपदा से हुई मृत्यु से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को 30 जुलाई 2016 तक उपलब्ध हो जाये तथा उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी दें।	SP/AC
6	आपदा मुआवजा की बैठक करानी है।	AC

नगर विकास

1	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद क्षेत्रान्तर्गत एवं कार्यपलाक अभियन्ता, पेयजल स्वच्छता प्रमण्डल खराब पडे चापानलों की मरम्मति करवाना सुनिश्चित करें एवं पूर्व	EO Municipality/ EE DWSD

	वर्षो में जितने चापानलों की मरम्मति हुई है उसका अगर भुगतान नहीं हुआ है तो 10 दिनों के अंदर भुगतान करवाना सुनिश्चित करेंगे।	
2	प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रगति प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही भूमि [illegible] योजना के कमजोर आर्थिक स्थिति वालों को भी जमीन उपलब्ध करायेंगे।	DDC
3	गैरमजरूआ जमीन अतिक्रमित है, उसे मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे	AC
4	नगर पर्षद में होल्डिंग टैक्स एवं रेन्ट फिक्सेसन के लिए आदेश निर्गत कराना है।	Order Issue
5	CCLPMG की प्रगति जिला राजस्व की बैठक में समीक्षा सुनिश्चित करेंगे	AC
6	अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग यह सुनिश्चित करेंगे कि नगर विकास के तहत सभी [illegible] का निष्पादन दिनांक–31 अगस्त 2016 तक पूर्ण हो जाय।	AC
7	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर अपने क्षेत्र में रेन्ट फिक्सेसन करायेंगे।	SDO Sadar
8	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद, हजारीबाग यह प्रतिवेदन देंगे कि उनके क्षेत्र में कितनी राशि की योजनाऍं चल रहीं है तथा कितने पूर्ण हुए हैं एवं कितना राशि अवशेष है।	EO Municipality

समाज कल्याण

1	जिले में मोबाईल एप से अनुश्रवण किया जाना है। महिला पर्यवेक्षिका दिनांक 25 जुलाई 2016 तक सेन्टर सरवर को एस0एम0एस0 भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग इसका अनुश्रवण करेंगे।	DSWO
2	प्रतिदिन निरीक्षण किये जाने वाले एप को प्रारम्भ करायेंगे। इसका इस्तेमाल महिला पर्यवेक्षिका करेंगी। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प्रत्येक दो सप्ताह के उपरांत समीक्षा कर प्रतिवेदन देंगे कि कौन कितना निरीक्षण किया है।	DSWO
3	मनरेगा कन्वर्जेंस से आँगनबाडी केन्द्र भवन बनाया जाना है। अपर समाहर्त्ता ह0बाग सभी अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए 02-02 डी0 भूमि उपलब्ध करायेंगे। इसके लिए रोड मैप समाज कल्याण पदाधिकारी तैयार करेंगे।	DSWO/AC/PO Nrega
4	राज्य विधवा सम्मान योजना, जिसके तहत जिले में निवास कर रही 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी विधवाओं को सम्मान राशि के रूप में 600/–रूपये प्रतिमाह के दर से पेंशन उपलब्ध कराया जायेगा। इसके नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए अनुपालन के लिए पंचायत भवन में एक दिन का कैम्प आयोजित किया जायेगा।	DSWO
5	जिले के सभी आँगनबाडी भवनों में मनरेगा कन्वर्जेन्स से अंडरग्राउण्ड बिजली का वायरिंग 02 माह के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।	DSWO/PO Nrega
6	गोदाम निर्माण अगर कराना है तो इसके लिए प्रस्ताव 15 अगस्त 2016 तक दें। अगर कोई गोदाम निर्माण लम्बित है तो उसे 31 अगस्त 2016 तक कराना सुनिश्चित करें	DSWO/PO Nrega

सामाजिक सुरक्षा

1	डी0बी0टी0 के माध्यम से एन0एस0पी0 का शत् प्रतिशत भुगतान कराना सुनिश्चित करें	ADSS
2	कम्बल का क्रय जिला से नही करना है। झारक्राफ्ट के द्वारा क्रय कर जिला को उपलब्ध कराया जायेगा	ADSS

	स्वास्थ्य	
1	Institutional Delivery का लक्ष्य कम से कम 80 प्रतिशत 31 अगस्त 2016 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।	CS
2	3rd Anti Natal Care ससमय नहीं होता है। इसके लिए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिम्मेवार है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी इसके लिए रोड मैप तैयार करेंगे।	CS/DSWO/CDPO
3	Immunization शत प्रतिशत करना सुनिश्चित करेंगे	CS
4	जिले के सभी पंचायतों में स्वास्थ्य कैम्प लगाने हेतु पूरे एक वर्ष की सूची तैयार कर सिविल सर्जन 15 अगस्त 2016 तक देंगे ताकि एक वर्ष में जिले के सभी पंचायत लाभान्वित हो जायें।	CS
5	NHM के तहत बैकलॉग 15 अगस्त 2016 तक तैयार करेंगे साथ ही इसकी रोड मैप भी तैयार करेंगे।	CS
6	जिले में जितने भी नर्सिंग होम/अस्पताल हैं उसकी जॉच करेंगे कि उनको अनुमति मिली है या नहीं अगर किसी को नहीं मिली है तो उसके विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।	CS
7	जिले में जितने भी स्वास्थ्य भवन बन कर तैयार है उसका हैण्डओवर विभिन्न एजेन्सियों से 15 अगस्त 2016 तक प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।	CS
	वाणिज्य कर	
1	वाणिज्य कर पदाधिकारी को पत्र निर्गत करना है कि अपने विभाग से हुए आडिट रिपोर्ट के अनुसार लम्बित मामलों को शीघ्र निष्पादित करें। साथ ही नीलामपत्र वादों का निष्पादन प्रति माह दो प्रतिशत अधिक करें।	Confidential Section
	आपूर्ति	
1	Supply Chain Management को ऑनलाईन करना है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी इसकी समीक्षा कर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।	DSO
2	Supply Hand Holding का प्रशिक्षण में सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, डी०एस०ओ०, ए०जी०एम० रहेंगे।	DSO
3	Distribution of Foodgrain through Biometric HHD इसके लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी रोड मैप तैयार करेंगे	DSO
4	जिले में जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण ए०डी०एम० स्तर के पदाधिकारी महीने में 01 प्रतिशत, एस०डी०ओ० स्तर के पदाधिकारी 02 प्रतिशत, कार्यपालक दण्डाधिकारी स्तर के 03 प्रतिशत एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी स्तर के पदाधिकारी 05 प्रतिशत करेंगे। इसका पर्यवेक्षण जिला आपूर्ति पदाधिकारी करेंगे	DSO
5	दाल भात योजना के केन्द्रों की जॉच कर 10 दिनों के अंदर प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे एवं आदर्श दाल भात केन्द्र के लिए स्थल चयन करेंगे	DSO
	पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल	
1	पुनर्स्थापन/आच्छादन हेतु बंद नलकूपों/स्त्रोत विहिन टोलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित आंगनबाड़ी केन्द्र में नलकूप निर्माण की योजना का कम से कम 60 प्रतिशत दिनांक 25.07.2016 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।	EE. DWSD

2	Untied Fund से नलकूपों में आर0आर0पी0 बदलकर चालू करने की योजना 25.07.2016 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे	EE DWSD
3	Rain Water Harvesting Structure का निर्माण जिले के जिन ग्राम टोलों मे जल स्तर काफी नीचे चला गया है, उन स्थानों पर सरकारी भवनों में नरेगा, 14वीं वित्त आयोग की राशि से कराना सुनिश्चित करेंगे	EE DWSD/ EE Builidng
4	चापाकलों की मरम्मति हेतु शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नं0 18003456502 तथा दूरभाष संख्या–06546262291 एवं 06512482140 का प्रकाशन जिला जन संपर्क पदाधिकारी तीन दिनों के अंदर कराना सुनिश्चित करेंगे।	EE DWSD/DPRO
5	जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपो की संख्या बढ़ाने के लिए कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 31 जुलाई 2016 तक रोड मैप तैयार कर सूची उपलब्ध करायेंगे।	EE DWSD
6	राईजर पाईप दिनांक 31.07.2016 तक हर हाल में बदलवाना सुनिश्चित करेंगे।	EE DWSD
7	Tubewell Repaire लक्ष्य के अनुरूप कराना सुनिश्चित करेंगे।	EE DWSD
8	नियंत्रण कक्ष का नं0 स्थानीय अखबार में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।	EE DWSD
9	सभी जिम्मेवार पदाधिकारियों/कर्मियों का दूरभाष संख्या प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।	EE DWSD
10	जिले में क्रियान्वित हो रही जलापूर्ति योजना को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा तथा इसके लिए क्या–क्या कार्रवाई की जा रही है, इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।	EE DWSD
11	ग्रामीण क्षेत्रों में लघु पाईप जलापुर्ति योजना के अंतर्गत योजना ही निर्माणाधीन है। शेष योजना कब तक प्रारंभ हो जायेगा। इसका प्रतिवेदन देंगे	EE MI
12	ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद् पाईप जलापुर्ति योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन है। शेष योजना कब तक प्रारंभ हो जायेगा। इसका प्रतिवेदन देंगे।	EE DWSD
13	पानी पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाना है।	EE MI
14	जल सहियाओं के कार्यों का मूल्यांकन किया जाना है। अगर उनके द्वारा कार्य सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो एक माह में नोटिश निर्गत कर अकुशल सहियाओं को हटाने का कार्य किया जाना है।	EE DWSD
15	स्वच्छ भारत के लिए डी0पी0एम0 की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार से अनुरोध हेतु पत्र निर्गत करें।	EE DWSD
16	जिले में पेयजलापूर्ति योजना के लिए भू–अर्जन का प्रस्ताव अपर समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, डी0डी0एस0ओ0 एवं कार्य0 अभियंता, पेयजल तैयार कर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।	AC/DLAO/DDMO/ EE DWSD
17	जिले में जितने भी नये हैंडपंप /आर0आर0पाईप लगा है, उसकी सूचना स्थानीय अखबार के माध्यम से प्रकाशित करायेंगे एवं सभी पंयाचतों को सूची उपलब्ध करायेंगे।	EE DWSD
18	जलाशयों के गहरीकरण का प्रस्ताव तैयार कर 31 जुलाई 2016 तक उपलब्ध करायेंगे।	EE DWSD

शिक्षा

1	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जिले में शिक्षक के कुल स्वीकृत पद 50 के विरूद्ध 23 कार्यरत हैं तथा 27 रिक्त है। इसी प्रकार गैर शिक्षकेत्तर कर्मी का स्वीकृत पद 30 के निरूद्ध 22 कार्यरत तथा 8 रिक्त पद है। इसको किस प्रकार कम किया जाना है (नियुक्ति कर, प्रतिनियुक्ति कर) इसकी विस्तृत रोड मैप तैयार कर दिनांक-31.07.2016 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना है।	DEO/DSE
2	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जितने भी नियुक्तियाँ की जानी है उसे अविलम्ब पूर्ण करना है। वर्ग 5 के बाद से छात्राओं को पढ़ाने के लिए 200/-रू0 प्रति घंटे के हिसाब से शिक्षक की नियुक्ति करना है।	DEO/DSE (IMP)
3	जिले के सभी विद्यालयों में विभिन्न योजनाओं हेतु छात्र-छात्राओं के बैंक खाता खोलने के लिये एल0डी0एम0 रोड मैप तैयार करेंगें कि अगले छः माह में शत प्रतिशत कैसे सुनिश्चित हो जाय।	DEO/DSE/LDM
4	जिले के सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का नियमित रूप से स्वास्थ्य जाँच चिकित्सक की रोस्टर तैयार कर प्रतिनियुक्ति करेंगे।	DEO/DSE/CS
5	जिले के सभी सरकारी विद्यालयों का विद्युतिकरण का कार्य दो माह के अन्दर किया जाना अनिवार्य है। वायरिंग अन्डर ग्राउण्ड होना चाहिए। इसके लिए जिला शिक्षा अधीक्षक रोड मैप तैयार करेंगे।	DEO/DSE (IMP)
6	असैनिक कार्यों का अग्रिम का समायोजन 15.08.2016 तक शत प्रतिशत कराना सुनिश्चित करेंगे।	DEO/DSE
7	जिले के वैसे विद्यालय जहाँ शिक्षकों का पदस्थापन की संख्या अधिक है उसे समायोजन अधोहस्ताक्षरी से विमर्श कर करायेंगे, जहाँ पर शिक्षकों की संख्या कम है।	DEO/DSE (IMP)
8	जिले के सभी सरकारी विद्यालयों के वैसे बच्चे जो वर्ग 5 में प्रवेश किये है उनका बैंक में खाता ससमय खुल जाय इसे जिला शिक्षा अधीक्षक एवं एल0डी0एम0 सुनिश्चित करायेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे।	DEO/DSE/LDM
9	जिले के सभी उच्च विद्यालयों के शिक्षकों का रोस्टर क्लियर कर दिनांक-31.07.2016 तक भेजना सुनिश्चित करेंगे।	DEO
10	जिले में जितने भी उच्च विद्यालय, जो अपग्रेडेड हुए है, उसको समिति से पास करवाकर इसे प्रारंभ करवाना जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।	DEO
11	जिले के सभी विद्यालयों में पर्यवेक्षण प्रणाली का अनुपालन हर हाल में किया जाना है। साथ ही टॉल फ्री नम्बर को हर विद्यालय के बाहरी दिवाल में प्रदर्शित करवाना है। जिला शिक्षा अधीक्षक इसे सुनिश्चित करेंगे।	DSE
12	जिले के सभी विद्यालयों में मैनेजमेन्ट कमिटि काम सही तरीके से कर रही है अथवा नहीं? इसका मूल्यांकन जिला शिक्षा अधीक्षक करेंगे। अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसे हटाने की कार्रवाई करेंगी।	DSE
13	जिले के सभी विद्यालयों में एम0डी0एम0 के लिये चावल का स्टॉक कम से कम पन्द्रह दिनों का रहे। एफ0सी0आई0 से समन्वय कर जिला शिक्षा अधीक्षक इसे सुनिश्चित करायेंगे।	DSE

14	आर0एम0एस0ए0 की समीक्षा कर दिनांक 31.07.2016 तक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।	DEO
	कल्याण	
1	वन पट्टा का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं बरही समीक्षा कर दिनांक–31.07.2016 तक निष्पादित करेंगे एवं यह प्रमाण पत्र देंगे कि कोई भी आवेदक के द्वारा वन पट्टा हेतु आवेदन दिया गया है परन्तु लम्बित नहीं है। जिला कल्याण पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे।	DWO
	ग्रामीण विकास	
1	दीन दयाल योजना में अनुमण्डल पदाधिकारी को नियमित पर्यवेक्षण करना है। इस योजना के तहत एस0एच0जी0 के साथ बैंक लिंकेज नहीं हो पा रहा है।	SDO's
2	डी0आर0डी0ए0 में रिक्त पदो के लिए नियुक्ति को पूर्ण कराना है। एक माह के अन्दर ।	DIRECTOR, DRDA
3	मनरेगा के तहत जितने भी लाभुकों का खाता पोस्ट ऑफिस में खुला हुआ है, उसे बन्द कराकर बैंक में खाता खुलवाना सुनिश्चित करेंगे।	PO NREGA
4	दिसम्बर, 2016 तक इंदिरा आवास की लम्बित योजनाओं को हर हाल में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।	PO DRDA
5	डॉ0 अम्बेडकर आवास, विधवा आवास योजना, जो ग्रामीण लाभुकों को देना है उसे 31.07.2016 तक पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे।	PO DRDA
6	माननीय मुख्यमंत्री / विधायक मद से सिंचाई के लिए राशि उपलब्ध कराया जाना है। सभी माननीय विधायकों को पत्र निर्गत करना है कि इसके लिए शीघ्र अनुशंसा करें।	DDC/DPO (letter)
7	विधायक मद का ऑडिट नहीं हुआ है, इसको अविलम्ब करवाना सुनिश्चित करेंगे।	DPO
8	पंचायत भवन जितने भी लम्बित हैं, उसका पुनः प्राक्कलन तैयार कर सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।	EX.Mag. JP/DPRO
9	कमल क्लब का गठन 15 अगस्त 2016 तक नियमानुसार करना सुनिश्चित करेंगे।	DDC/DPRO
10	हजारीबाग के वेबसाईट को प्रतिदिन अद्यतन करना है।	DIO

अतएव संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त समय सीमा के अंदर लक्षित कार्य बिन्दुओं को पूर्ण करने हेतु समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। कृत कार्रवाई से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 30 जुलाई 2016, 15 अगस्त 2016 एवं 31. अगस्त 2016. तक निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करें, ताकि मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रांची को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

13/7/16

उपायुक्त, हजारीबाग